मि0नं0
18/2022

न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

तारीख फैसला
9.09.2023

उनवान

1– रचना शर्मा उर्फ अर्चना बाई पुत्री गिरधारीलाल, पत्नी महेन्द्र शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी मण्डोला हाल निवासी तिवारी मोहल्ला कल्याणपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादनी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादनी की ओर से – श्री प्रमोद चौधरी एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती

वादनी की ओर से – श्री प्रमोद चौधरी एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद

निर्णय

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम मण्डोला तहसील दीगोद में वादनी व अन्य सहखातेदारान के खाते व कब्जे काश्त की खसरा नम्बर 222 की 0.27 हेकटर, खसरा नम्बर 445 की 0.78 हेक्टर, खसरा नम्बर 520 की 0.61 हेक्टर, खसरा नम्बर 589/516 की 3.95 हेक्टर, कुल किता 4 की 5.61 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है जिसमें वादनी का बोलता नाम अर्चना बाई दर्ज है। उक्त आराजी में वादनी का नाम नामा0 दर्ज करते समय घर पर बोलते नाम अर्चना बाई के नाम से नामा0 दर्ज कर दिया गया है, जबकि वादनी का वास्तविक नाम रचना शर्मा है, तथा समस्त दस्तावेजों में भी वादनी का नाम रचना शर्मा है , उक्त भूमि वादनी व उसके भाई व माता के नाम वादनी के पिता गिरधारीलाल की मृत्यु के बाद दर्ज हुआ है जिसमें वादनी का बोलता नाम दर्ज किया गया है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वादनी का नाम आधार कार्ड, बैंक खाते में वोटर आईडी एवं सभी सरकारी दस्तावेजात में वादनी का नाम रचना शर्मा है। वादनी का नाम जमाबन्दी में अर्चना बाई होने से सरकारी योजनाओ का लाभ व भूमि सुधार के लिये परेशानी हो रही है। वादनी को दस्तावेजों के आधार पर अपना नाम दुरूस्त कराने का कानूनन अधिकार है। इसलिये वादनी का नाम दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वादनी का नाम प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम रचना शर्मा के स्थान पर अर्चना बाई दर्ज कर दिया है जो गलत है। उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम अर्चना बाई पुत्री गिरधारीलाल जाति ब्राहम्ण के स्थान पर रचना शर्मा पुत्री गिरधारीलाल, पत्नि महेन्द्र शर्मा जाति ब्राहम्ण दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वाद कारण दिनांक 4.02.2022 को उत्पन्न हुआ जबकि प्रतिवादी ने उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम दुरूस्त नहीं करने कि कहने पर पैदा हुआ। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि वादनी के पक्ष में

प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे:— कि ग्राम मण्डोला तहसील दीगोद में वादनी व अन्य सहखातेदारान के खाते व कब्जे काश्त की खसरा नम्बर 222 की 0.27 हेकटर, खसरा नम्बर 445 की 0.78 हेक्टर, खसरा नम्बर 520 की 0.61 हेक्टर, खसरा नम्बर 589/516 की 3.95 हेक्टर, कुल किता 4 की 5.61 हेक्टर भूमि जिसमें वादनी का नाम अर्चना बाई अंकित है। वादनी का नाम अर्चना बाई पुत्री गिरधारीलाल जाति ब्राहम्ण के स्थान पर रचना शर्मा पुत्री गिरधारीलाल,पत्नि महेन्द्र शर्मा जाति ब्राहम्ण दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई।

3. प्रतिवादी पेरोकार सरकार द्वारा जवाब दावा पेश किया कि पटवारी हल्का एवं भू0अभिलेख निरीक्षक सीमलिया कि रिपोर्ट अनुसार अर्चना बाई पुत्री गिरधारीलाल पत्नि महेन्द्र शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी मण्डोला तहसील दीगोद हाल निवासी तिवारी मोहल्ला कल्याणपुरा के नाम शुद्वि के बारे में जांच की गई। मौके पर उपस्थिति व्यक्तियों ने बताया कि ग्राम मण्डोला में गिरधारीलाल जी के एक लड़की है, जिसका नाम अर्चना एवं रचना है। अर्चना एवं रचना एक ही महिला है जिसको दोनों नामों से पुकरारा जाता है।

4. वादनी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता ने बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम मण्डोला तहसील दीगोद में वादनी व अन्य सहखातेदारान के खाते व कब्जे काश्त की खसरा नम्बर 222 की 0.27 हेकटर, खसरा नम्बर 445 की 0.78 हेक्टर, खसरा नम्बर 520 की 0.61 हेक्टर, खसरा नम्बर 589/516 की 3.95 हेक्टर, कुल किता 4 की 5.61 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है जिसमें वादनी का बोलता नाम अर्चना बाई दर्ज है। उक्त आराजी में वादनी का नाम नामा0 दर्ज करते समय घर पर बोलते नाम अर्चना बाई के नाम से नामा0 दर्ज कर दिया गया है, जबकि वादनी का वास्तविक नाम रचना शर्मा है, तथा समस्त दस्तावेजों में भी वादनी का नाम रचना शर्मा है , उक्त भूमि वादनी व उसके भाई व माता के नाम वादनी के पिता गिरधारीलाल की मृत्यु के बाद दर्ज हुआ है जिसमें वादनी का बोलता नाम दर्ज किया गया है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वादनी का नाम आधार कार्ड, बैंक खाते में वोटर आईडी एवं सभी सरकारी दस्तावेजात में वादनी का नाम रचना शर्मा है। वादनी का नाम जमाबन्दी में अर्चना बाई होने से सरकारी योजनाओ का लाभ व भूमि सुधार के लिये परेशानी हो रही है। वादनी को दस्तावेजों के आधार पर अपना नाम दुरूस्त कराने का कानूनन अधिकार है। इसलिये वादनी का नाम दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वादनी का नाम प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम रचना शर्मा के स्थान पर अर्चना बाई दर्ज कर दिया है जो गलत है। उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम अर्चना बाई पुत्री गिरधारीलाल जाति ब्राहम्ण के स्थान पर रचना शर्मा पुत्री गिरधारीलाल, पत्नि महेन्द्र शर्मा जाति ब्राहम्ण दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

5. वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में पी डब्ल्यु 1 रचना शर्मा पुत्री गिरधारीलाल, पत्नि महेन्द्र शर्मा का शपथ पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ग्राम मण्डोला की जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में खाता संख्या 176, वोटर आई डी , आधार कार्ड, पंचायत सीमलिया की तस्दीक दिनांक 11.01.2022 की छायाप्रति, बैंक पास की छायाप्रति आदि के समस्त रिकार्ड पेश किये गये।

6. प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद ने बहस के दौरान जवाब दावा में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम अर्चना बाई पुत्री गिरधारीलाल जाति ब्राहम्ण के स्थान पर रचना शर्मा पुत्री गिरधारीलाल, पत्नि महेन्द्र शर्मा जाति ब्राहम्ण दुरूस्त करने में किसी प्रकार की आपत्ति नही है।

7. प्रकरण में अधिवक्ता वादनी की बहस तथा जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड एवं पत्रावली में उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का गहन अध्ययन अवलोकन किया गया। पेश दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम अर्चना बाई पुत्री गिरधारीलाल जाति ब्राहम्ण के स्थान पर रचना शर्मा पुत्री गिरधारीलाल, पत्नि महेन्द्र शर्मा जाति ब्राहम्ण दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादनी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. अतः वादनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मण्डोला तहसील दीगोद में वादनी व अन्य सहखातेदारान के खाते व कब्जे काश्त की खसरा नम्बर 222 की 0.27 हेकटर, खसरा नम्बर 445 की 0.78 हेक्टर, खसरा नम्बर 520 की 0.61 हेक्टर, खसरा नम्बर 589/516 की 3.95 हेक्टर, कुल किता 4 की 5.61 हेक्टर भूमि में वादनी का नाम अर्चना बाई पुत्री गिरधारीलाल जाति ब्राहम्ण के स्थान पर रचना शर्मा पुत्री गिरधारीलाल, पत्नि महेन्द्र शर्मा जाति ब्राहम्ण दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9.09.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में मजमें आम में सुनाया गया।

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

09/9/23
सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)